

सं.08/01/2023-रा0भा0(सेवा)

भारत सरकार/गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-11 (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली,
दिनांक 27 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-राजभाषा विभाग के केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के कार्मिकों की वर्ष 2022-2023 एवं विगत वर्षों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का रख रखाव मूलरूप से राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है, परन्तु विगत में यह पाया गया है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (मूल प्रति) प्रकटीकरण प्रमाण पत्र के साथ राजभाषा विभाग को समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। इसके साथ यह भी पाया गया है कि कुछ कार्मिक जोकि प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत हैं, वे अपनी वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) राजभाषा विभाग के प्रोफॉर्मा में भरकर नहीं भेजते हैं। राजभाषा विभाग के प्रोफॉर्मा से इतर किसी अन्य प्रोफॉर्मा में भेजी गई वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों पर पदोन्नति एवं एम ए सी पी (MACP) की दृष्टि से विचार नहीं किया जाएगा।

2. अतः सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उनके कार्यालय में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2022-23 एवं विगत वर्षों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें राजभाषा विभाग के प्रोफॉर्मा में (मूल प्रति) प्रकटीकरण प्रमाण पत्र के साथ राजभाषा विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

राजेश कुमार
27/4/2023

(राजेश कुमार)

सहायक निदेशक (सेवा)

टेलीफोन नंबर -011-23438078

सेवा में

1. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना)।
2. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों हिन्दी अनुभाग के नियंत्रण अधिकारी।
3. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकारी/कर्मचारी।
4. सचिव, राजभाषा के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर
5. संयुक्त सचिव, राजभाषा के प्रधान निजी सचिव
6. तकनीकी परामर्शदाता (एन आई सी) कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग कि वेब साइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।